# शिखर नगरपालिका
# आर्थिक ऐन, २०७८

## शिखर नगरपालिका
## तल्कोट, डोटी ।

# शिखर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७८

प्रमाणिकरण मिति : २०७८।३।१६

२०७८ सालको ऐन नं. : २

**प्रस्तावना :** शिखर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरीवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २२८ को (२) बमोजिम शिखर नगरपालिकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ।

१) **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** : (१) यस ऐनको नाम "शिखर नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७८" रहेको छ

(२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखि शिखर नगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ।

२) **परिभाषा :** विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(क) "नगरपालिका" भन्नाले शिखर नगरपालिकालाई सम्झनु पर्दछ।

(ख) "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई सम्झनु पर्दछ।

(ग) "सभा" भन्नाले शिखर नगरपालिकाको नगरसभालाई सम्झनु पर्दछ।

(घ) "तोकिए वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा कार्यविधीले तोकिए बमोजिमलाई जनाउँछ।

(ङ) "वडा" भन्नाले वडा समितिको कार्यालयलाई जनाउछ।

(च) "कर" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार लागेको वा लाग्ने कर सम्झनु पर्छ र यो शब्दले सो करको अतिरिक्त यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सोमा लाग्ने जरिवाना समेतलाई जनाउँछ।

(छ) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले शिखर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोकिएको कर्मचारीलाई सम्झनु पर्दछ।

(ज) "कर निर्धारण" भन्नाले यस ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको कर दायित्व निश्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुनःकर निर्धारण तथा संशोधित कर निर्धारण समेतलाई जनाउँछ।

(झ) “करदाता” भन्नाले कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शव्दले कर अधिकृतले करको विवरण बुझाउन सूचना दिएको वा अरु कुनै कारवाही प्रक्रिया शुरु गरेको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

३) **सम्पत्ति कर :** नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका घर, टहरा तथा भवनहरु र सोले चर्चेको जग्गामा अनुसूची (१) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ । घरको मूल्याङ्कन अनुसूची (२) अनुसार, घरको बनौटको आधारमा ह्रास कट्टी अनुसूची (३) अनुसार र जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची (४) अनुसार गरिनेछ ।

**स्पष्टीकरण:** “घरले चर्चेको जग्गा” भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल र अधिकतम सो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गालाई जनाउंदछ ।

४) **भूमि कर (मालपोत):** नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकमा अनुसूची (५) बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

५) **बहाल कर:** (१) नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा सँस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आशिंक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (६) बमोजिम बहाल कर लगाई मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने घरजग्गा बहाल करको लागि बहाल रकमको मूल्यांकन सम्वन्धी व्यवस्था अनुसूची (७) मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

६) **व्यवसाय कर:** नगरपालिका क्षेत्र भित्र उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ति, संघसंस्था वा निकायलाई व्यवसायको प्रक्रिति, आर्थिक कारोवार, स्थान बिशेष र लगानीलाई आधार लिई गरिएको बर्गिकरण अनुसार अनुसूची (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) नगर क्षेत्रभित्र विगत लामो समय देखि पेशा व्यवसाय संचालन भएका तर करको दायरामा नआएका व्यवसायहरुलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि आर्थिक वर्ष २०७६।७७ बाट कर लिई पेशा व्यवसायको इजाजत दिइनेछ ।

(३) आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ बाट व्यवसाय कर असुल गर्दा व्यवसाय करको दर आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा उल्लेख भएको दरमा नै असुल गरिनेछ ।

७) **जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका वस्तुको व्यावसायीक कारोवार गरेबापत अनुसूची (९) बमोजिमको कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

८) **सवारी साधन कर :** सवारी साधन कर अनुसूची (१०) बमोजिम लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

९) **प्राकृतिक स्रोत साधन विक्री:** नगपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपलब्ध हुने प्राकृतिक स्रोतहरु ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चुनढुगां, दहत्तर, बहत्तर आदिमा अनुसूची (११) बमोजिम न्यूनतम दर कायम गरी विक्री गरिने छ ।

१०) **बहाल बिटौरी शुल्क:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख, वा सञ्चालन गरेका वा सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गा वा भवनमा हाटबजार वा पसल वा सडक वा बाटो किनार वा विशेष मेला पर्वमा अनुसूची (१२) अनुसार बहाल विटौरी शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

११) **सेवा शुल्क :** नगरपालिकाले उपलब्ध गराएका सेवामा अनुसूची (१३) बमोजिम सेवा शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

१२) **दस्तुर :** नगरपालिकाले उपलब्ध गराएका इजाजत, प्रभाणित तथा सिफारिशमा सेवाग्राहीवाट अनुसूची (१४) बमोजिम दस्तुर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

१३) **सम्पत्ति बहाल:** नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका भवन तथा मेसिनरी साधनहरुको न्यूनतम भाडा दर अनुसूची (१५) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१४) **दण्ड जरिवाना:** तोकिएको समय भित्र कर तथा शुल्क नबुझाउने तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेध गरिएका कार्यहरु एवं प्रचलित कानुन विपरीतका कार्य गरेमा अनुसूची (१६) बमोजिम जरिवाना गरिनेछ ।

१५) **कर तथा शुल्कमा छुट:** नगरपालिकाले अनुसूची (१७) मा व्यवस्था भए बमोजिम कर तथा शुल्कमा सहुलियत वा छुट दिईनेछ ।

१६) **पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था:** (१) नगरपालिकाले गरेको कर शूल्क महशुल दण्ड जरिवाना सम्बन्धी विषयमा चित्त नबुझेका करदाताले नगरपालिकामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन गर्न सक्नेछन । यसरी पुनरावलोकनका लागि कार्यपालिकाले प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित विषय विज्ञ समेत रहने गरी पुनरावलोकन समिती गठन गर्नेछ ।

(२) पुनरावलोकनका लागि प्राप्त भएका निवेदन उपर ३५ दिनभित्र पुनरावलोकन समितीले छानविन तथा निर्णय गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्णयको जानकारी दिनुपर्नेछ ।

१७) **कर फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था:** करदाताले यस ऐन बमोजिम कर बुझाउदा तिनुपर्ने भन्दा बढी कर दाखिला गरेमा बढी दाखिला भएको रकम फिर्ता माग गर्न सक्ने छ सो व्यहोरा साचो देखिएमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले निवेदन परेको एक महिना भित्र रकम फिर्ता दिने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

१८) **अन्य व्यबस्था:** (१) नगरपालिकाका अन्य शाखा तथा वडाहरुबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानालाई सेवासँग आबद्ध गरी अनिवार्य

असुल उपर गरी सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । तर, नागरिकताको सिफारिश तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा प्रवाह गर्न भने बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(२) अन्य स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम दर्ता/नविकरण भएका कम्पनी, फर्म, संघसंस्थाहरुले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नगरपालिकामा पुनः व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

(३) नगरपालिकाले कर तथा शुल्कहरु संकलनकोलागि अग्रिम सूचना दिन, करको अभिलेख राख्न तथा कर संकलनकोलागि विद्युतिय माध्यमलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।

१९) **नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने:** नगर कार्यपालिकाले यस ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी नियमावली तथा कार्यविधिहरु वनाई लागु गर्न सक्नेछ ।

२०) **यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने:** यो ऐन जारी हुनु अघि भए गरेका व्यवस्थाहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

२१) **साबिक बमोजिम हुने:** यस ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था यसै बमोजिम र उल्लिखित नभएको हकमा साविक बमोजिम नै हुनेछ ।

२२) **बाधा अड्काउ फुकाउः** यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा आईपरेमा शिखर नगरपालिका नगर कार्यपालिकालाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार रहनेछ ।

२३) **खारेजी :** साविकमा शिखर नगरपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरु यस ऐनसँग प्रतिकूल देखिएमा प्रतिकूल भएको हदसम्म खारेज हुनेछन् ।

## अनुसूची (१)
## दफा ३ सँग सम्बन्धित

## सम्पत्ति करको दर

आर्थिक बर्ष २०७८।७९ देखि घर तथा जग्गाको मूल्यांकनको आधारमा निम्न अनुसार सम्पत्ति कर असुल गरिनेछ ।

| सि.नं. | करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य | वार्षिक दर |
|---|---|---|
| १ | ५ लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | एकमुष्ठ रु १०० |
| २ | १० लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु २० |
| ३ | २० लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु २५ |
| ४ | ३० लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु ३० |
| ५ | ४० लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु ३५ |
| ६ | ५० लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु ४० |
| ७ | ६० लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु ४५ |
| ८ | ७० लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु ५० |
| ९ | ८० लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु ५५ |
| १० | ९० लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु ६० |
| ११ | १ करोड रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु ६५ |
| १२ | १ करोड लाख रुपैया भन्दा मूल्यांकनमा | प्रति लाख रु ७० |

**थप व्यवस्था:**

१. सम्पत्तिकर र भूमिकर (मालपोत) लागु हुनु भन्दा अगाडी लगाईएका घरधुरी कर, मालपोत, एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत अन्य खारेज भएका कर तथा शुल्कको बक्यौताको हकमा साविककै व्यवस्था अनुसार कर लाग्नेछ ।

२. सम्पत्ति करकोलागि भवनको क्षेत्रफल कायम गर्दा स्वीकृत नक्शा र निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफलमा फरक भएमा निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफललाई आधार मानिनेछ । कर तिरेको प्रमाण अन्य कुनै प्रयोजनमा दावि लाग्ने छैन ।

३. संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, कुटनैतिक नियोग, गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी संचालन हुने संघसंस्थाको सम्पत्तिमा यस ऐन बमोजिम कर लिइने छैन । तर लाभको उद्देश्य नराखी संचालन हुने संघसंस्थाहरुलाई भूमिकर (मालपोत) भने छुट हुने छैन ।

४. प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्पत्ति कर छुट हुने व्यक्ति वा निकायको जग्गामा व्यावसायीक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरी उपयोग गरेको भए उक्त भवनको मूल्यांकनको आधारमा घरको उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्पत्ति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

## अनुसूची (२)
## दफा ३ सँग सम्बन्धित

## घरको मूल्यांकन दर

| क.सं | घरको बनौट | मूल्यांकन दर |
|---|---|---|

| | | प्रति वर्गफुट रु. |
|---|---|---|
| १ | ईटमा माटोको जोडाई भएको वा काठैकाठ वा जस्ताको वेरा बाट बनेको र जस्ता, झिंगटी, टायल, एसबेस्टसको छाना भएको घर | ३०० |
| २ | पाको ईट वा ढुङ्गामा माटोको जोडाई भई छाना ढलान (आर.सि.सि. वा आर.वि.सि.) गरीएको | ५०० |
| ३ | पाको ईट वा ढुङ्गामा सिमेन्टको जोडाई भई छाना ढलान (आर.सि.सि. वा आर.वि.सि.) गरीएको | ६०० |
| ४ | स्टील फेम स्ट्रक्चर, फाइबर बि जस्ता संरचना | ८०० |
| ५ | आर.सि.सि. फेम स्ट्रक्चरको घर | १००० |

**अनुसूची (३)**
**दफा ३ सँग सम्बन्धित**

**घरको ह्रसकट्टी दर**

| क.सं | घरको बनौट | प्रति वर्ष ह्रस कट्टी दर | ह्रसकट्टी गर्ने जम्मा वर्ष |
|---|---|---|---|
| १ | ईटमा माटोको जोडाई भएको वा काठैकाठ वा जस्ताको वेरा बाट बनेको र जस्ता, झिंगटी, टायल, एसबेस्टसको छाना भएको घर | ३ प्रतिशत | २५ बर्ष |
| २ | पाको ईट वा ढुङ्गामा माटोको जोडाई भई छाना ढलान (आर.सि.सि. वा आर.वि.सि.) गरीएको | २ प्रतिशत | ३५ बर्ष |
| ३ | पाको ईट वा ढुङ्गामा सिमेन्टको जोडाई भई छाना ढलान (आर.सि.सि. वा आर.वि.सि.) गरीएको | १ प्रतिशत | ७० बर्ष |
| ४ | स्टील फेम स्ट्रक्चर, फाइबर बि जस्ता संरचना | १ प्रतिशत | ७० बर्ष |
| ५ | आर.सि.सि. फेम स्ट्रक्चरको घर | ०।७५ प्रतिशत | १०० बर्ष |

**अनुसूची (४)**
**दफा ३ सँग सम्बन्धित**

**जग्गाको मूल्यांकन दर**

जग्गाको मूल्यांकन दर घरजग्गा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालय डोटीबाट निर्धारित गरिएको न्यूनतम दररेट बमोजिम निर्धारण गरिनेछ ।

**अनुसूची (५)**
**दफा ४ सँग सम्बन्धित**

**भूमिकर (मालपोत) को दर**

भूमिकर (मालपोत) को बार्षिक दर प्रति रोपनी निम्न अनुसार कायम गरिएको छ ।

| जग्गाको किसिम | अब्बल रु | दोयम रु | सिम रु | चाहर रु |
|---|---|---|---|---|
| भिर/पाखो | २५.०० | २०.०० | १५.०० | १०.०० |
| धनहर/खेत | ५०.०० | ४०.०० | ३०.०० | २०.०० |

१. भूमिकर (मालपोत) को न्यूनतम करको दर रु २५ कायम गरिएको छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको जग्गाको उपरोक्त बमोजिकको दरमा भूमिकर (मालपोत) हिसाव गर्दा रु २५ भन्दा कम हुने अवस्थामा न्यूनतम रु २५ असुल उपर गरिनेछ।

## अनुसूची (६)
## दफा ५ सँग सम्बन्धित

### बहाल करको दर

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा वा पोखरी वा अन्य सम्पत्ति पुरै वा आशिंक तबरले बहाल दिएकोमा निम्न अनुसार बहाल कर असुल उपर गरिनेछ :

१. संगठित संघ संस्था, कम्पनी, कार्यालयलाई बहालमा दिएमा बहाल अंकको १० प्रतिशतका दरले,

२. पसल तथा व्यवसायलाई बहालमा दिएमा बहाल अंकको ५ प्रतिशतका दरले,

३. घरायसी प्रयोजनमा बहालमा दिएमा बहाल अंकको २ प्रतिशतका दरले।

## अनुसूची (७)
## दफा ५ सँग सम्बन्धित

### घरजग्गा बहाल करलागि न्यनतम मूल्यांकन दर

बहाल कर निर्धारणको लागि बहाल अंकको मूल्यांकन निम्न अनुसार हुनेछः

| क्र.सं. | क्षेत्र | घरायसी प्रयोजन रु | व्यवसायीक प्रयोजन रु |
|---|---|---|---|
| १ | **राजमार्गले छोएका क्षेत्रमा रहेका सटर तथा कोठाहरु** | | |
| | अ. प्रति महिना प्रति सटर। | ५०० | २००० |
| | आ. प्रति महिना प्रति कोठा। | ३०० | ६०० |
| २ | **अन्य क्षेत्रमा रहेका सटर तथा कोठाहरु** | | |
| | अ. प्रति सटर प्रति महिना। | ३०० | १००० |
| | आ. प्रति महिना प्रति कोठा। | २०० | ४०० |

१. लेखा परीक्षण गराई कर दाखिला गर्ने दायित्व भएका संगठित संस्था, कम्पनी तथा कार्यालयहरुलाई दिएको वहाल रकमको निर्धारण धरधनीले निजहरुसंग गरेको संझौता बमोजिम हुनेछ।

२. घरधनीले बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानी दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक वा वार्षिक रुपमा बहाल कर बुझाउनु पर्नेछ।

३. करदाताले उपलब्ध नगरपालिकालाई स्वघोषणा गरी उपलब्ध गराएको विवरणको आधार तथा वा वहाल संझौतामा उल्लेख भए बमोजिम वहाल रकम निर्धारण गरी बहाल कर असुल हुनेछ । तर, नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम मासिक वहाल दर भन्दा कम रकम उल्लेख भएको अवस्थामा नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम मासिक वहाल दर अनुसार मूल्यांकन गरी बहाल कर असुल गरिने छ ।

## अनुसूची (८)
## दफा ६ सँग सम्बन्धित

### व्यवसाय करको दर

आ.व. २०७८।७९ कोलागि व्यवसाय करको वार्षिक दर निम्न अनुसार हुनेछः

| क.स | व्यवसायको किसिम | कर बार्षिक रु | |
|---|---|---|---|
| | | क श्रेणी | ख श्रेणी |
| **१.** | **व्यापारिक वस्तु** | | |
| १.१ | खाद्यान्न किराना पसल (डिरल र खुद्रा) | २५०० | १५०० |
| १.२ | कपडा पसल (थोक एवं खुद्रा) | २५०० | १५०० |
| १.३ | पेट्रोल पम्प | ३००० | |
| १.४ | विद्युत सामान तथा विद्युतीय सामग्री टि.भि घडी रेडियो विक्रि | १००० | ५०० |
| १.५ | निमार्ण सामग्री | ३००० | २००० |
| १.६ | सुनचाँदी पसल (ज्वेलेरी) | २५०० | २००० |
| १.७ | फेन्सी पसल | २००० | १००० |
| १.८ | उनी धागो पसल | १५०० | ५०० |
| १.९ | जुत्ता चप्पल पसल | १५०० | ५०० |
| **२** | **अन्य सेवा** | | |
| २.१ | विविध श्रीङ्गार पसल (थोक, खुद्रा) | १५०० | ७०० |
| २.२ | फर्नीचर पसल | २५०० | १५०० |
| २.३ | भाडा र गिफ्ट पसल (थोक, खुद्रा) | २५०० | १५०० |
| २.४ | पुस्तक तथा पत्रिका पसल | २००० | १००० |
| २.५ | नर्सरी र फलफुका विरुवा विक्रि वितरण | १५०० | ७०० |
| २.६ | संस्थागत पेन्टर | ५०० | २०० |
| २.७ | तरकारी पसल | १००० | ५०० |
| २.८ | मासु पसल | १००० | ५०० |
| २.९ | कपडा सिलाई | ५०० | ३०० |
| २.१० | हेयर कटिङ | ५०० | २०० |
| २.११ | आर्ट | ५०० | ३०० |
| २.१२ | फोटो स्टूडियो | ४०० | २०० |
| २.१३ | रंगरोगन | ५०० | ३०० |
| २.१४ | चश्मा पसल | ५०० | ३०० |
| २.१५ | चिया नास्ता पसल | १००० | ५०० |
| **३** | **मर्मत संभार** | | |
| ३.१ | रेडियो टि.भि.घडी, प्रेसर कुकर, हिटर टेलीफोन सेट, पंखा तथा स्टोभ, | १००० | ५०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | विद्युत सामग्री मर्मत केन्द्र | | |
| ३.२ | हेभी इक्विपमेन्ट बस, ट्रक, कार मोटरसाइकल, टेम्पो, साईकल ममैत कारखाना तथा टायर मर्मत केन्द्र | १५०० | १००० |
| ४ | **सेवा उद्योग** | | |
| ४.१ | ड्राइभिङ इन्टिच्यूट | १००० | |
| ४.२ | चलचित्र मन्दिर | १००० | |
| ४.३ | छापाखाना | १००० | ५०० |
| ५ | कृषि तगा वनजन्य उद्योग | | |
| ५.१ | वन पैदावरमा आधारित उद्योग | ३००० | १५०० |
| ५.२ | कुटानी पिसानी मिल | २५०० | १५०० |
| ५.३ | कृषि तथा पशु व्यावसायीक फर्म | १००० | ५०० |
| ६ | **उत्पादन कुलक उद्योग** | | |
| ६.१ | पाउरोटी भण्डार | १५०० | १००० |
| ६.२ | आइसक्रिम उद्योग तथा पसल | २००० | १००० |
| ७ | **वित्तीय सेवा** | | |
| ७.१ | राष्ट बैंकबाट क वर्गको मान्यता प्राप्त बैंक | ५००० | |
| ७.२ | वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था | २००० | १५०० |
| ७.३ | रेमिटेन्स सेवा | २००० | १००० |
| ८ | **स्वास्थ्य सेवा** | | |
| ८.१ | निजी तथा गैर सरकारी अस्पताल | ४००० | २५०० |
| ८.२ | नर्सिङ होम | ३००० | १५०० |
| ८.३ | क्लिनिक तथा ल्याव | २००० | १२०० |
| ८.४ | डेन्टल ल्याब वा क्लिनिक | २००० | १२०० |
| ९ | **शिक्षा सेवा** | | |
| ९.१ | निजि क्षेत्रका बोर्डिङ स्कुल क्याम्पस उ.मा.वि र प्रा.वि | १५०० | १००० |
| ९.२ | टाइपिङ, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था | १००० | |
| ९.३ | सिलाई, बुनार्य, पेन्टिङ, कटिङ, प्रशिक्षण | १००० | ५०० |
| ९.४ | टेकिनकल इन्टिच्युट | १००० | |
| १० | निर्माण व्यवसायी वर्ग क, ख, ग, घ | क्रमशः ३५००, २५००, १५०० र १००० | |
| ११ | **संचार सेवा** | | |
| ११.१ | नीजी क्षेत्रका कुरियर, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट र टेलिफोन | १५०० | ७०० |
| १२ | **विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा** | | |
| १२.१ | चिकित्सक विशेषज्ञ (स्व. सहायक, कविराज) | २५०० | १५०० |
| १२.२ | ल फर्म | २५०० | १५०० |
| १२.३ | कन्सल्टेन्सी फर्म | ३००० | २००० |
| १२.४ | ज्योतिश | ५०० | |
| १३ | **अन्य व्यवसाय** | | |
| १३.१ | कवडी सामानको थोक बिक्रेता | २५०० | |
| १३.२ | जडिबुटी तथा पशुजन्य वस्तुको कारोवार | २५०० | १००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **१४** | **साना उद्योग** | २५०० | १००० |
| १४.१ | ग्रिल उद्योग | २५०० | ७०० |
| १४.२ | ब्लक उद्योग | ३००० | |
| १४.३ | अन्य उद्योग | १५०० | |
| **१५.** | **पर्यटन उद्योग** | | |
| १५.१ | होमस्टे | ३०० | १५० |
| १५.२ | साधरण होटल र लज | २५०० | १५०० |
| १५.३ | रेष्टुरेन्ट (मम, तास, सेकुवा) | २५०० | १५०० |

१. माथि उल्लेखित व्यवसायहरु मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ठूला व्यवसायीलाई क वर्ग बमोजिम र तोकिएको निकायबाट स्थायी लेखा नम्बर लिई वा नलिई सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीहरुलाई व्यवसायीहरुलाई ख वर्गमा वर्गिकरण गरी व्यवसाय कर असुल गरिने छ ।

२. नगरपालिकामा व्यवसाय करको लागि दर्ता निशुल्क हुनेछ र बार्षिक व्यवसाय कर भुक्तानी गरेमा त्यस बर्षकोलागि स्वत नविकरण भएको मानिनेछ ।

## अनुसूची (९)
## दफा ७ सँग सम्बन्धित

### जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको दर

१. तोकिएको नदी तथा खोलामा माछा मारी विक्री वितरण गर्ने इजाजत वापत बार्षिक न्यूनतम रु ५०,००० कर लगाई असूल उपर गरिने छ ।

२. कवाडी मालसामान खरिद विक्री गर्ने इजाजत वापत बार्षिक न्यूनतम रु ५०,००० कर लगाई असूल उपर गरिनेछ ।

३. बन क्षेत्रवाट जडिवुटी संकलन गर्ने इजाजत वापत बार्षिक न्यूनतम रु १०,००० कर लगाई असूल उपर गरिनेछ ।

४. तोकिएका क्षेत्रमा प्रतिश्प्रधात्मक प्रणाली अवलम्वन गरी माथिका कर संकलन गर्ने इजाजत प्रदान गरिने छ ।

## अनुसूची (१०)
## दफा ८ सँग सम्बन्धित

### सवारी करको दर

अटोरिक्सा, इरिक्सामा प्रति गोटा बार्षिक रु २५०० सवारी कर लगाई असुल उपर गरिने छ ।

## अनुसूची (११)
## दफा ९ सँग सम्बन्धित

### प्राकृतिक स्रोत साधन विक्रीको दर

| सि.न. | विवरण | बिक्री दर रु |
|---|---|---|
| १ | गिटी ढुंगा बालुवा (प्रति ट्रक, टिप्पर) | १२०० |
| २ | गिटी ढुंगा बालुवा (प्रति मिनी ट्रक, टिप्पर) | ६०० |
| ३ | गिटी ढुंगा बालुवा (प्रति ट्याक्टर ) | ४०० |
| ४ | कालीमाटी तथा रातो माटो (ट्रक) | ४०० |
| ५ | कालीमाटी तथा रातो माटो (प्रति मिनी ट्रक, टिप्पर) | २०० |
| ६ | कालीमाटी तथा रातो माटो (पावर टिलर) | १०० |
| ७ | सल्लाको काकाकाबन (खोटो) | प्रति केजि रु २ |

१. प्राकृतिक स्रोत नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्र तथा परिमाणमा मात्र उत्खनन गर्न पाईने छ ।

२. नगरपालिकाको इजाजत विना कसैले पनि प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन ।

३. सार्वजनिक वा निजि जग्गाबाट बहुमुल्य पत्थर, ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्वका शिला र अति मुल्यवान बस्तु, चुनढुङ्गा उत्खनन वा संकलन गर्न पाईने छैन ।

## अनुसूची (१२)
## दफा १० सँग सम्बन्धित

**बहाल विटौरी शुल्कको दर**

नगरक्षेत्रमा सर्वाजनिक जग्गा उपयोग गरे वापत निम्न अनुसार वहाल विटोरी शुल्क लगाई असुल गरिनेछः

| सि.न | विवरण | एकाई | शुल्कको दर रु |
|---|---|---|---|
| १ | घुम्ती पसलहरु | वार्षिक | ३०० |
| २ | कच्ची घर तथा टहराहरु | बार्षिक | ५०० |
| ३ | पक्की घर | बार्षिक | १००० |

## अनुसूची (१३)
## दफा ११ सँग सम्बन्धित

**सेवा शुल्कको दर**

| क्र.स | व्यवसायको विवरण | सेवा शुल्क रु |
|---|---|---|
| १ | उपचार सेवा | |
| १.१ | गाई/ भैंसी | २० |
| १.२ | बाखा/भेडा/बंगुर/खरायो | १० |
| १,३ | कुखुरा/हाँस तथा अन्य पशुपंछी | १० |
| १.४ | कुकुर विरालो | ५० |
| १.५ | घोडा हात्ति बादर तथा अन्य वन्यजन्तु | १०० |
| २ | प्रयोगशाला सेवा | |
| २.१ | गोबर पिसाब परिक्षण | २० |
| २.२ | शव परिक्षण | |

| | | |
|---|---|---|
| | क) कुखुरा/हाँस | २० |
| | ख) गाई/भैसी/कुकुर/बिरालो | १०० |
| | ग) घोडा/हात्ति तथा अन्य वन्य जन्तु | ३०० |
| ३ | माईनर सर्जरी सेवा | |
| ३.१ | बोका/रांगा/सढी (खसीपार्ने) | २५ |
| ४ | प्रजनन सेवा | |
| ४.१ | कृतिम गर्भाधान गाई/भैसी | ५० |

**अनुसूची (१४)**
**दफा १२ सँग सम्बन्धित**

**दस्तुरको दर**

१. आ.व २०७८।७९ को लागि नक्सापास दस्तुरको दर निम्न अनुसार हुनेछः

| **स्थान** | **पिल्लर सिस्टमको आरसिसि घरको तल्ला** | **प्रति वर्गफिट रु** |
|---|---|---|
| **(क) नयाँ घर नक्सापास दस्तुर** | | |
| पक्की सडक | भुइ तला | ५ |
| | पहिलो तला | ४.५० |
| | दोस्रो तला र सो भन्दा माथि | ४ |
| शाखा पिच सडक | भुइ तला | ४.५० |
| | पहिलो तला | ४ |
| | दोस्रो तला र सो भन्दा माथि | ३.५० |
| शाखा सडक ग्राभेल | भुइ तला | ४ |
| | पहिलो तला | ३.५० |
| | दोस्रो तला र सो भन्दा माथि | ३ |
| **(ख) पुराना घरको नक्सा नियमीत दस्तुर** | | |
| सबै क्षेत्रमा | भुइ तला | १ |
| | पहिलो तला | ०.७५ |
| | दोस्रो तला र सो भन्दा माथि | ०.५० |

**अन्य घरहरुको हकमाः** पिल्लर सिस्टमको आर.सि.सि. घर वाहेक अन्य किसिमका घरहरुको हकमा नक्सापास दस्तुर माथि उल्लेखित दरको आधा हुनेछ ।

२. आ.व २०७८/७९ को लागि नगरपालिका तथा वडावाट प्रदान गर्ने सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुरको दर निम्न अनुसार हुनेछः

| **सि.न** | **विवरण** | **दर रु** |
|---|---|---|
| १ | नाता प्रमाणित | १५० |
| २ | नागरिकता सिफारिश | |
| क | वंशज, जन्मको नागरिकता सिफारिश | १५० |
| ख | वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिश | ३०० |
| ३ | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिश | १५० |

| | | |
|---|---|---|
| ४ | राहदानी सिफारिश | २५० |
| ५ | बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस | १५० |
| ६ | मोहि लगत कट्टाको सिफारिस | १५० |
| ७ | घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारिश | २५० |
| ८ | जन्म मिति प्रमाणित फरक फरक नाम थर जन्ममिति तथा प्रमाणित दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस | २५० |
| ९ | व्यापार व्यवसाय बन्द भएको सञ्चान नभएका वा हुदै नभएको सिफारिश | २५० |
| १० | मिलापत्रको कागज गराउने निवेदन दर्ता सिफारिश | २५० |
| ११ | विवाहित वा अविवाहित प्रमाणित | २०० |
| १२ | निःशुल्क वा सःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारिश | निःशुल्क |
| १३ | अंग्रेजी माध्यममा सिफारिस तथा प्रमाणित | ५०० |
| १४ | घर पातल प्रमाणित | २०० |
| १५ | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने | २०० |
| १६ | पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस | २५० |
| १७ | मदिरा विक्री इजाजत पत्र सिफारीश | २०००० |
| १८ | मदिरा विक्री इजाजत पत्र नवीकरण सिफारीश | |
| क | कारोबार पूँजि रु १ लाख सम्म भएको | ३५०० |
| ख | कारोबार पूँजि रु १ लाख देखि ५  सम्म भएको | ५००० |
| ग | कारोबार पूँजि रु ५ लाख देखि १० लाखसम्म भएको | १०००० |
| १९ | नाम, थर, जन्म, मिति संशोधनको सिफारिश | ५०० |
| २० | जग्गाधनी पूर्जा हराएको सिफारिश | २५० |
| २१ | कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणित | १५० |
| २२ | कित्ताकाट गर्न सिफारिश प्रति कित्ता | २०० |
| २३ | संरक्षक प्रमाणित तथा संस्थागत व्यक्तिगत संरक्षक सिफरिश | २५० |
| २४ | हकवला वा हकदार प्रमाणित तथा सर्जमीन मुचुल्का | २५० |
| २५ | नामसारी गर्न सिफारिश | २५० |
| २६ | जग्गा हक सम्बन्धमा सिफारिस | २५० |
| २७ | मृतकसँग नाता प्रमाणित तथा सर्जमनि मुचुल्का | २५० |
| २८ | उद्योग दर्ता सिफारिस | |
| क | साना उद्योग | १००० |
| ख | मझौला उद्योग | २००० |
| ग | ठूला उद्योग | ३००० |
| २९ | उद्योग ठाँउसारी गर्न सिफारिश | ३००० |
| ३० | जीवित रहेको सिफारिस | १५० |
| ३१ | पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्न सिफारिस र अनुमति | १००० |
| ३२ | घर जग्गा मूल्यांकन | |
| क | रु ५० लाख सम्म | ५००० |
| ख | रु ५० लाख भन्दा माथि प्रति लाख थप | २०० |
| ३३ | सामुदायिक विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफरिश | |
| क | सामुदायिक | |

| | | |
|---|---|---|
| | १. वाल विकास केन्द्र सञ्चालन अनुमति | १००० |
| | २. आधारभूत विद्यालय | २००० |
| | ३. मा.वि | ५००० |
| | ४. स्नातक र स्नातकोत्तर | ८००० |
| ख | निजि | |
| | १. वालिविकास केन्द्र सञ्चालन अनुमति | २००० |
| | २. आधारभूत विद्यालय | ५००० |
| | ३. मा.वि | ८००० |
| | ४. स्नातक र स्नातकोत्तर | १२००० |
| ३४ | पालन पोषणका लागि सिफारिश | निःशुल्क |
| ३५ | आर्थिक अवस्थाको सिफारिस गर्ने | |
| क | विपन्नताको सिफारिश | निःशुल्क |
| ख | सम्पन्नताको सिफरिश | १००० |
| ३६ | विद्यालय ठाँउसारी गर्न सिफारिश | २५० |
| ३७ | टेलिफोन, धारा तथा विजुली जडानको सिफरिश | |
| क | आर.सी.सी पक्की घर | ५०० |
| ख | अन्य घर | २०० |
| ३८ | काठको दाउराको सिफरिस | ५०० |
| ३९ | सर्जमिन मुचुल्का गरेको शुल्क | ५०० |
| ४० | चारित्रिक सिफारिस | २०० |
| ४१ | भवन निमार्णको साधरण स्वीकृत सम्बन्धी सिफरिश | ५०० |
| ४२ | छात्रवृति सम्बन्धी सिफारिश | निःशुल्क |
| ४३ | पेन्सन मिलान सिफारिश | ३५० |
| ४४ | संस्था दर्ता सिफारिश | ५०० |
| ४५ | संस्था नविकरण सिफारिश | २५० |
| ४६ | जातीय पहिचान सिफरिश | १५० |
| ४७ | विदेश अध्ययन गर्न जानेको लागी मूल्यांकन सिफारिश | |
| | रु ५० लाख सम्मको मूल्यांकनमा | ५००० |
| | रु ५० लाख भन्दा माथि प्रति लाख थप | ३०० |
| ४८ | आय स्रोत प्रमाणित दस्तुर | |
| | रु १० लाख सम्मको श्रोत प्रमाणितमा | १ प्रति हजारमा |
| | रु २० लाख सम्मको श्रोत प्रमाणितमा | २ प्रति हजारमा |
| | रु ३० लाख भन्दा माथिको श्रोत प्रमाणितमा | ३ प्रति हजारमा |
| ४९ | ताला बन्दी कोठा खोल्ने सेवा शुल्क दस्तुर | १००० |
| ५० | चार किल्ला प्रमाणित सिफारिस | ३०० |
| ५१ | माथि उल्लेख गरे वाहेकका अन्य सिफारिश तथा प्रमाणित | १५० |
| २ | अन्य दस्तुर | |
| १ | निवेदन दस्तुर | निशुल्क |
| २ | अनूसुची फारम | निशुल्क |
| ३ | व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब दस्तुर | २०० |

| | | |
|---|---|---|
| ४ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपि दस्तुर | ५०० |
| ५ | निवेदन नक्कल प्रति पाना | |
| | क) कार्यालयको तर्फबाट गरिदिनु परेमा | ७ प्रति पाना |
| | ख) आफैले गरी ल्याएमा | ५ प्रति पाना |
| ६ | घर निमार्ण नक्शाको नक्कल दस्तुर | १५० |
| ७ | घ वर्गको ठेक्का इजाजत दस्तुर | ५००० |
| ८ | सहकारी संस्था दर्ता तथा इजाजत | १००० |
| ९ | एफएम रेडियो दर्ता तथा इजाजत | ३००० |
| १० | जनरल अस्पताल, नर्सिङ्ग होम दर्ता तथा इजाजत | १५००० |
| ११ | इन्टरनेट, केबुल, तारविहिन टेलिभिजन दर्ता तथा इजाजत | ३००० |
| १२ | कृषि तथा पशु समूह दर्ता तथा इजाजत | १००० |
| १३ | कृषि तथा पशु समूह नविकरण | ५०० |
| १४ | माथि उल्लेख नभएका दर्ता तथा इजाजत | १००० |

**अनुसूची (१५)**
**दफा १३ सँग सम्बन्धित**

**सम्पत्ति वहालको दर**

नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन तथा मेसिनरी औजारको न्यूनतम बहाल निम्न अनुसार हुनेछः

| क्र.सं. | नगरपालिकाको सम्पत्ति | न्यूनतम बहाल रु |
|---|---|---|
| १. | सभाहल प्रति दिन | १५०० |
| २. | टिपर प्रति दिन | ६००० |
| | **टिपर भाडाका सर्तहरुः**<br>क) कार्यालयवाट हिडेपछि दिनको गणना हुनेछ ।<br>ख) टिपरको ईन्दन र अन्य आवश्यक वस्तु तथा सामान भाडामा लिनेले नै बेहोर्नु पर्नेछ ।<br>ग) ड्राईभरको खुराकी वापतको दैनिक रु. ५०० भाडामा लिनेले ड्राईभरलाई नै दिनु पर्नेछ ।<br>घ) १ दिन भन्दा कम अवधिको लागि भाडामा दिईने छैन । | |
| ३. | नगर वसको भाडा प्रति व्यक्ती तथा यात्रा गरेको दुरीको आधारमा | तोकिए बमोजिम । |
| ४. | एम्बुलेन्सको भाडा | तोकिए बमोजिम । |

**अनुसूची (१६)**
**दफा १४ सँग सम्बन्धित**

**दण्ड जरिवाना**

| **क.सं** | **विवरण** | **जरिवानाको रकम वा प्रतिशत** |
|---|---|---|
| १. | नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारका कर, शुल्क, भाडा तथा वहाल रकम सोही आर्थिक बर्ष भित्र नवुझाएमा त्यसपछि वार्षिक | १५ प्रतिशत |
| २. | निर्माण सामग्रीहरु बिना अनुमति तथा कुनै पनि प्रयोजनको लागि सडक वा पेटीमा आवागमन गर्न अवरोध श्रृजना गरेमा उक्त सामग्रीहरु लाई उठाई आम्दानी वाधी दण्ड जरिवाना गर्ने । | सामग्रीको मात्रा अनुसार रु १००० देखि रु १००००० सम्म |

| | | |
|---|---|---|
| ३. | नाफामुलक सहकारी संस्थाले नियमित वार्षिक, तथा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयमा नबुझाएमा | प्रत्येक पटक रु १००० |
| ४. | नक्सापास नगरी घर वनाएमा प्रति वर्गफुट जरिवाना थप<br>क. आर.सि.सि. घरको<br>ख. अन्य घरको लागि | <br>रु ५<br>रु २ |
| ५. | कर सम्वन्धी झुटो विवरण दाखिला गरेमा | कर रकमको ५० प्रतिशत |
| ६. | प्राकृतिजन्य सामानहरु जस्तै गिटी, वालुवा, ढूंगा, माटो आदि सामानको लागि अनुमति वेगर उत्खनन् गरेको पाइएमा ।<br>क. मेशिनरि औजार तथा जेसिभि सार्वजनिक जग्गामा प्रयोग गरेको<br>ख. मेशिनरि औजार तथा जेसिभि व्यक्तिगत जग्गामा प्रयोग गरेको<br>ग. मिनि ट्रक, सानो टिपर, ट्याक्टरको लागि पहिलो पटकको लागि<br>घ. ट्रकको लागि पहिलो पटक<br>ङ ठुलो ट्रिप्परको लागि पहिलो पटक<br>च. दोस्रो पटक देखिको लागि सवैमा सामान जफत सहित | <br><br>रु २० हजार<br>रु १० हजार<br>रु ५ हजार<br>रु ६ हजार<br>रु ७ हजार<br>रु ७ हजार |

**अनुसूची (१७)**
**दफा १५ सँग सम्बन्धित**

**कर तथा शुल्कको छुट तथा सहुलियत**

| क.सं | विवरण | छुट दिइने क्षेत्र | छुटको प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | चालु आर्थिक वर्षको कर तथा शुल्क असोज मसान्त सम्ममा दाखिला गरेमा | सबै प्रकारका वार्षिक कर, शुल्क तथा भाडा | १० प्रतिशत |
| २ | टेण्डर प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउदा पुरा रकम सम्पुर्ण अग्रिम भुक्तानी गरेमा | सम्झौता रकमको | ५ प्रतिशत |
| ३ | उद्योग तथा होटल निर्माणमा | नक्सापास दस्तुर | ५० प्रतिशत |
| ४ | महिलाको स्वामित्वमा व्यवसाय सञ्चालन गरेमा | व्यवसाय कर | ५० प्रतिशत |
| ५ | फरक क्षमता (अपाङ्गता) भएका तथा दलित बर्गका व्यक्तिले व्यवसाय संचालन गरेमा | व्यवसाय कर | ५० प्रतिशत |